न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 145/2020 (जीसीएमएस नम्बर–2020/00154)

1. हंसा पुत्र घूडया जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा, तह0 सिकराय, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 05.08.2015 अपील संख्या 165/2015 उनवानी सरकार बनाम हंसा एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 16.10.2015 प्रकरण संख्या 88/2015 उनवानी हंसा बनाम राजस्थान सरकार में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–01.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 16.10.2015 एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 05.08.2015 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 04.02.2016 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.08.2015 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2072 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर कास्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अतिक्रमण हटा लिये जाने व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अपीलान्ट उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें की मौके पर अतिक्रमी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपर्युक्त शर्तों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 05.08.2015 में से बेदखली की कार्यवाही स्थगित की जाकर शेष निर्णय यथावत रखा गया तथा अतिक्रमी द्वारा निर्धारित समय सीमा में मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उप तहसीलदार सिकन्दरा का प्रश्नगत निर्णय यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 पारित किया गया है।
3. उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 16.10.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 05.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस रेस्पोडेन्ट सुनी गयी।
5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों का निर्णय विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

करते हुये यह निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नहीं होने का) का अवलोकन नहीं करते हुये निर्णय पारित कर दिया है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 (1) लैण्ड रेवन्यू के अन्तर्गत निर्णय करते हुये यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं। परन्तु योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखकर यह निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट गरीब मजदूरी पेशे वाला व्यक्ति है, कमाने खाने के लिये बाहर चले जाने के कारण निर्णय की जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण अपील निर्धारित समय अवधि में पेश नहीं कर सका। जैसे ही अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई तो उसने निर्णय की नकल के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट को निर्णय की नकल दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त हुई। परन्तु इसके पश्चात अपीलान्ट बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण व अपीलान्ट को कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण निर्धारित समय अवधि में अपील पेश नहीं कर पाया। अतः अपील श्रीमान के समक्ष दफा–5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 16.10.2015 मुकदमा नम्बर 88/2015 उनवानी प्रकरण हंसा बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 05.08.2015 मुकदमा नम्बर 165/2015 उनवानी सरकार बनाम हंसा को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2072 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर कास्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलान्ट के अतिक्रमण हटा लिये जाने व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया की अपीलान्ट उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें की मौके पर अतिक्रमी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपर्युक्त शर्तों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 05.08.2015 में से बेदखली की कार्यवाही स्थगित की जाकर शेष निर्णय यथावत रखा गया एवं अतिक्रमी द्वारा निर्धारित समय सीमा में मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उप तहसीलदार सिकन्दरा का प्रश्नगत निर्णय यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2015 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2015 द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में आदेशिका दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने तथा अन्यथा की स्थिति में पत्रावली का अवलोकन कर एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने की हिदायत दी गई। फिर भी अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 की जानकारी दिनांक 28.10.2015 को होना अंकित किया गया है व इसके पश्चात अपीलान्ट बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण व अपीलान्ट को कानून का ज्ञान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नहीं होने के कारण निर्धारित समय अवधि में अपील पेश नहीं कर पाया। अपीलान्ट को नकल दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त हो गयी थी। उसके द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 04.02.2016 को पेश की गयी है। अपीलान्ट द्वारा 28.10.2015 से दिनांक 04.02.2016 तक की अवधि में अपनी बीमारी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात, साक्ष्य, सबूत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किये गये है। जिससे यह माना जा सके कि वास्तव में अपीलान्ट बीमारी से ग्रसित रहा हो। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में दिन प्रतिदिन का विलम्ब का अंकन किया जाना आवश्यक होता है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब कन्डोन किये जाने का ऐसा कोई संतोषप्रद कारण का अंकित नहीं किया गया है। जिससे विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2062 में वाके ग्राम पीपलकी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर काश्त कर अतिक्रमण किया है तथा रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कास्त कर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय की पालना में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ना ही दौराने बहस इस प्रकार का कोई कथन किया गया है। पत्रावली में अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में भी कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नही है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2015 जिसके माध्यम से बेदखली की कार्यवाही शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा अतिक्रमण हटाये जाने की शर्त पर स्थगित रखी जाकर न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय में आंशिक परिवर्तन किया गया है, को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2015 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2015 जिसके माध्यम से बेदखली की कार्यवाही शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा अतिक्रमण हटाये जाने की शर्त पर स्थगित रखी जाकर न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय में आंशिक परिवर्तन किया गया है, को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2015 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर